न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-422RAAJodhpur2022-151RTA223 Sunil Kumar Vs Palu etc

सुनिल कुमार पुत्र श्री अर्जुनराम जाति बिश्नोई, निवासी- ग्राम बजरंग नगर, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. पालू पत्नी पुनमचंद
02. सुशीला पत्नी गोरधनराम
03. विमला पत्नी राजाराम
    जातियान् विश्नोई ग्राम सुरपुरा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 मई 2022 सहायक कलक्टर बाप राजस्व मूल वाद संख्या 122/2021 सुनिल कुमार बनाम पालू इत्यादि

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 4

नि र्ण य

दिनांक : 10 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 122/2021 अनवान सुनिल कुमार बनाम पालू इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 मई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 14 सितंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 354 रकबा 38 बीघा 14 बिस्वा ग्राम बजरंगनगर तहसील बाप के संबंध धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05 मई 2022 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 05 मई 2022 पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमित वाद प्रक्रिया की पालना किये बिना ही सीधे ही अधिवक्ता वादी की गलत रूप से सहमति दर्शाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जारी करी दी। वादी अधिवक्ता बिना साक्ष्य बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाने हेतु कतई सहमत नहीं थे। विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को केवल आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री की गई। स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया, जबकि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के विभाजन के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का भी अनुतोष चाहा था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया के विरुद्ध एवं अधूरी होने से अपास्त योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना तथा वादी अधिवक्ता की गलत सहमति दर्शाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 08.09.2022 को अपीलार्थी को बुलाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के बारे में अवगत कराया। तब निर्णय एवं डिक्री की नकल लेने पर प्रथम बार जानकारी हुई।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमायी जाकर अपील गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 122/2021 अनवान सुनिल कुमार बनाम पालू इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 मई 2022 को खारिज फरमाया जावे एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे वे वादी के वाद में प्रतिवादीगण का जवाबदावा लेकर तनकीयात कायम कर उभय पक्ष की साक्ष्य लेकर, उभय पक्ष की बहस सुनकर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2006(2)आर.आर.टी. 1369, 2008(2)आर.आर.टी. 1123, 2011-12(सप्ली) आर.आर.टी. 662, आर.आर.डी. 1996 पेज 148 की न्यायिक नजीरे पेश की।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादी द्वारा अपने वाद में वादग्रस्त आराजी के बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन का अनुतोष चाहा है जो विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये प्रदान किया है। अपीलांट का उज है कि विचारण न्यायालय स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में आदेश पारित नहीं किया, किंतु इस संबंध में निवेदन है कि विचारण न्यायालयें द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादग्रस्त आराजी के संबंध में विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पारित किया गया है है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी अविभाजित है तथा संयुक्त खातेदारी की भूमि दर्ज है। कानूनन सहखातेदार के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलांट को इस संबंध में अनुतोष चाहिए तो वह विचारण न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद के विचाराधीन रहते अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट द्वारा अत्यंत विलंब से हस्तगत अपील प्रस्तुत की है तथा विलंब का कोई संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत होने तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज फरामायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का प्रकरण में परिप्रेक्ष्य आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 1 व सीपीसी के अवलोकन मुताबिक प्रतिवादीगण द्वारा वादी के दावे के अभिवचनों को स्वीकार किया गया है। वकील वादी एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वकील प्रतिवादी के निवेदन एवं उनकी सहमति से विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 354 की जमाबंदी में दर्ज वादी के 1/3 हिस्से तथा प्रतिवादीगण के 2/3 हिस्से अनुसार नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। ऐसी स्थिति में उभय पक्ष द्वारा सहमति प्रदान किये जाने से अपीलांट का उक्त उज्र समाप्त हो जाता कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना नहीं की गई।

अपीलांट का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में आदेश पारित नहीं किया गया है। इस संबंध में राजस्व अभिलेख के अवलोकन से साबित है कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी अविभाजित है तथा संयुक्त खातेदारी की दर्ज है। कानूनन सहखातेदार के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलांट का उक्त अनुतोष निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करते समय दिया जाना संभव है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में होने से हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार उभय पक्ष की सहमति से पारित किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 122/2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अनवान सुनिल कुमार बनाम पालू इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 मई 2022 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर